न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 01/2020

अपीलान्टस	**रेस्पोडेण्टस**
1. शारदादेवी पत्नि जबराजी जाति पुरोहित निवासी दौलतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर।	1. ग्राम पंचायत आखराड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आखराड, तहसील रानीवाडा 2. रूडाराम 3. धुखाराम पिसरान हनाजी जातियान ब्रहम्ण साकिनान दौलतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 371 दिनांक 31.12.2007

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 की ओर अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 27.01.2021

1. अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 371 दिनांक 31.12.2007 ग्राम पंचायत आखराडा के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दौलतपुरा तहसील रानीवाडा में स्थित आराजी नवीन खसरा नम्बर 646 रकबा 1.57 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 647 रकबा 1.66 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.23 हेक्टेयर आराजी आई हुई है। उक्त आराजी में से अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 रूडाराम, धुखाराम पिसरान हनाजी कौम ब्रहम्ण साकिन दौलपूरा का सम्पुर्ण हिस्सा जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 02.08.2007 पंजीयन दिनांक 03.08.2007 के खरीद किया था। जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 371 भरा गया, परन्तु उक्त म्यूटेशन संख्या 371 अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 02.08.2007 , पंजीयन दिनांक 03.08.2007 के अनुसार स्वीकृत नहीं कर उक्त आराजी में स्थित रेस्पोडेण्टस संख्या 3 का सम्पूर्ण हिस्सा गलत एवं अवैध रूप से अपीलाण्टस के नाम दर्ज नहीं किया गया। इसलिए उक्त म्यूटेशन संख्या 371 से आहत होकर यह म्यूटेशन अपील अपीलाण्ट द्वारा निम्न आधारों पर पेश की जा रहीं है।
2. उक्त म्युटेशन संख्या 371 को स्वीकृत क[illegible] रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ने न तो अपीलाण्टस को कोई नोटिस दिया गया तथा [illegible] ही अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर दिया गया। इसलिए म्यूटेशन संख्या 371 की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:48 IST
Reason: SelfAttested

सिद्वान्त के विपरित होने से काबिल निरस्त है। अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 से मौजा दौलतपुरा तहसील रानीवाडा में स्थित आराजी नवीन खसरा नम्बर 646 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 647 रकबा 1.66 हे. जुमले रकबा 3.23 हेक्टेयर में से सम्पूर्ण हिस्सा खरीद किया गया था, परन्तु उक्त म्युटेशन के जरिये रेस्पोडेण्टस संख्या 3 की सम्पूर्ण आराजी अपीलाण्टस के नाम दर्ज नहीं की गई। इसलिए म्यूटेशन संख्या 371 की कार्यवाही काबिल निरस्त हैं।

3. दिनांक 12.10.2019 को अपीलाण्टस हल्का पटवारी के पास वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की नकल बैंक से ऋण लेने हेतु गई तो अपीलाण्टस को प्रथम बार यह जानकारी हुई कि म्युटेशन संख्या 371 के जरिये रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 के बजाय उक्त आराजी की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम दर्ज नहीं कर रेस्पोडेण्टस संख्या 3 के नाम उक्त आराजी की खातेदारी में 1/8 हिस्सा में दर्ज रखा गया। उक्त म्युटेशन संख्या 371 की कार्यवाही अपीलाण्ट के पक्ष में निस्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 2.8. 2007 में उल्लेखित तथ्यों के विपरित होने से प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य कार्यवाही को किसी भी समय पर चुनौती दी जा सकती है। इसलिये अपीलाण्ट की अपील का अंदर म्याद मानी जावे। यदि अपीलाण्ट को म्युटेशन संख्या 371 के स्वीकृत करते समय न तो सुनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही अपीलाण्ट को कोई सूचना दी गई तथा उक्त म्युटेशन संख्या 371 की कार्यवाही अपीलाण्ट की पीठ पिदे अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 02.08.2007, पंजीयन दिनांक 03.08.2007 में उल्लेखित तथ्यों के विपरित की गई है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को दिनांक 12. 10.2019 को प्रथम बार हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल लेने हेतु सम्पर्क करने पर हुई। अपीलाण्ट अनपढ महिला है तथा अपीलाण्ट को उक्त म्युटेशन संख्या 371 की जानकारी दिनांक 12.10.2019 को होने से अपीलाण्ट की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जिस हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः म्युटेशन अपील मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि म्युटेशन संख्या 371 जो ग्राम पंचायत आखराड द्वारा दिनांक 31.12.2007 को स्वीकृत किया गया हैं कि कार्यवाही को अपास्त कर मौजा दौलतपुरा तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 646 रकबा 3.23 हेक्टेयर आराजी बाबत रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निस्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 02.08.2007 पंजीयन दिनांक 03.08.2007 के अनुसार रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 की बजाय अपीलाण्ट के नाम म्युटेशन भरकर स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

4. रेस्पोडेण्टस की ओर से अधिवक्ता कोई जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं अतः रेस्पोडेण्टस का जबाव बंद किया गया।

5. सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में बैचान दस्तावेज के अनुरूप इन्द्राज से संबंधित है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को उक्त आराजी की जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने पर दिनांक 12.10.2019 को हुई। अपीलाण्ट अनपढ महिला है। तथा ग्राम पंचायत आखराड द्वारा ना0 क0 संख्या 371 स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नही [illegible] न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन [illegible] के [illegible]र्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:48 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस अधिवक्ता की बहस सुनी गई। रेस्पोडेण्टस अधिवक्ता द्वारा अपील के तथ्यों को स्वीकार किया गया। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा बैचान पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 03.08.2007 का अध्ययन किया, उक्त बैचान दस्तावेज में बैचानकर्ता रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 ने कृषि भूमि का बैचान किया है, जिसमे बैचानकर्ता द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित है।

'' हम रूडाराम, धुखाराम पिसरान हनाजी कौम ब्रहम्ण साकिन दौलतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर ने अपने उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 1.57 है. किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 647 रकबा 4.66 है. किस्म बा.दो. जूमले रकबा 3.23 है. में सें अपना सम्पूर्ण हिस्सा (1.21 हे. आराजी) सरहद मौजा दौलतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर को आज रोज आप खरीदार श्रीमति शारदादेवी पत्नि श्री जबराजी कौम पुरोहित साकिन दौलतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर को बरवज रूपये 75000/– रूपये में कतई रूप से विक्रय फरोक्त कर दिया है। बैचान सुदा आराजी पर आपका कब्जा कास्त मौके पर हमारे तमाम हक हकुकों सहित आज रोज से बहैसियत मालिक करवा दिया गया है। अब उक्त आराजी आपकी सम्पति है। ''

उक्तानुसार बेचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 371 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

नामान्तरण संख्या 371 दिनांक 31.12.2007 के स्वीकृत अनुसार सांवलाराम वल्द वरदा 1/2 शारदादेवी पत्नि जबराजी ,छोगा धर्मा पि0 भूदरा, धुखाराम वल्द हना 1/2 हि0 कौम ब्रहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया।

उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जो बैचान दस्तावेज के अनुरूप नही है, जो राजस्थान भू–राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 371 विधिक त्रुटि का होने से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने हेतु उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

7. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत आखराड द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 371 स्वीकृत दिनांक 03.08.2007 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज [illegible] किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्या 371 को तहसीलदार रानीवाडा को [illegible] किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज पंजीयन संख्या 2007001233 दिनांक 03.08.2007 का अध्ययन कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:48 IST
Reason: SelfAttested

की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:48 IST
Reason: SelfAttested